

भारत सरकार  
रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग

11 नवम्बर, 2021 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (एनआईएम), उत्तराखण्ड के कार्यकारिणी और साधारण निकाय की 26वीं बैठकों का कार्यवृत्त

11 नवम्बर, 2021 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (एनआईएम) की कार्यकारिणी परिषद और साधारण निकाय की 26वीं बैठक हुई। भागीदारों की सूची संलग्न है।

2. शुरुआत में कर्नल अमित बिष्ट, प्रचार्य, एनआईएम ने माननीय रक्षा मंत्री, संस्थान के अध्यक्ष और कार्यकारिणी परिषद (ईसी) के अन्य सदस्यों और संस्थान की साधारण निकाय का स्वागत किया।

3. एनआईएम के सदस्यों का स्वागत करते हुए, माननीय रक्षा मंत्री ने वर्चुअल मोड के जरिए आयोजित हो रही बैठक में उपस्थिति पर हर्ष जताया। संस्थान की प्रशंसा करते हुए उन्होंने यह नोट किया कि एनआईएम न केवल देश का एक प्रमुख संस्थान बन गया है अपितु इसने पड़ोसी देशों में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी हासिल की है। माननीय रक्षा मंत्री ने बताया कि वे न केवल आशान्वित हैं बल्कि इस बात को लेकर आश्वस्त भी हैं कि आने वाले वर्षों में भी संस्थान अपने गरिमामयी परम्परा के अनुसार राष्ट्र के लिए अपना योगदान देता रहेगा। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि श्रीमती अरुणिमा सिन्हा जो एनआईएम की भूतपूर्व छात्र थी, ने सभी बाधाओं और दिव्यांग होने के बावजूद एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उन्होंने जून, 2021 में जेआईएम और डब्ल्यूएस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पर्वतारोहण अभियान में एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए एनआईएम के प्रतिभागियों और प्रिंसिपल को बधाई दी।



2. माननीय रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी होगी यदि संस्थान अपने विभिन्न पर्वतारोहण और साहसिक कक्षाओं के जरिए युवाओं, महिलाओं और स्कूली बच्चों में पर्वतारोहण अभियान के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्थानीय लोग केवल शेरपा के तौर पर न लिए जाए बल्कि राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता में भागीदार के तौर पर भी देखे जाए। माननीय रक्षा मंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि एनआईएम, स्व-संधारणीयता, अवसंरचना विकास के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए एक सर्वोत्कृष्ट संस्थान होने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा और अपने पाठ्यक्रम को विस्तारित करेगा।

3. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, माननीय रक्षा मंत्री ने एनआईएम के प्रिंसिपल से ईसी और जीबी के समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मदों पर बातचीत शुरू करने का आग्रह किया।

4. मदवार वार्ता का सार और ईसी और जीबी द्वारा लिए गए निर्णय इस प्रकार है :-

मद सं. (1) 24/11/2017 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद और साधारण निकाय की 25वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

24/11/2017 को आयोजित 25वीं कार्यकारिणी परिषद और साधारण निकाय की 25वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद सं. (2) 24/11/2017 को आयोजित पिछली बैठक में लिए गए निर्णय पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट (एटीआर)

ईसी और जीबी ने 24/11/2017 को आयोजित पिछली बैठक में लिए निर्णय पर संस्थान द्वारा सुपुर्द की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट पर संज्ञान लिया।



मद सं. (3) वर्ष 2017-2021 के लिए प्रशासनिक रिपोर्ट

वर्ष 2017-2021 की अवधि के दौरान संस्थान द्वारा की गई गतिविधियों पर ईसी और जीबी ने संज्ञान लिया जैसा कि समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रशासनिक रिपोर्ट में बताया गया है ।

मद सं. (4) वर्ष 2017-18 से 2022-23 की अवधि के लिए बजट

एनआईएम के प्रिंसिपल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 और वास्तविक व्यय (2017-18 से 2020-21) के लिए बजट उपसमिति द्वारा अनुमोदित बजट का विवरण ईसी के समक्ष प्रस्तुत किया ।

निर्णय:

कार्यकारिणी परिषद ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए वास्तविक व्यय हेतु कार्योत्तर अनुमोदन दिया और वर्ष 2021-22 (आरई) और 2022-23 (बीई) हेतु प्रस्तावित बजट को अनुमोदित किया और यह भी निदेश दिया कि संस्थान की बजट उपसमिति द्वारा अनुमोदित बजट को प्रत्येक वर्ष कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को परिचालित किया जाए और अनुवर्ती बैठक में सूचना हेतु कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत किया जाए ।

मद सं. (5) बजट साझा करने के तरीके का पुनरीक्षण

एनआईएम के अध्यक्ष ने ईसी और जीबी को अवगत कराया कि भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 70:30 के अनुपात में संस्थान के व्यय को बांटने के निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि 24/11/2017 को आयोजित ईसी की बैठक में रक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए कुछ मामलों के चलते इसे लागू नहीं किया जा सकता ।

सचिव (क्रीड़ा), उत्तराखंड सरकार और सचिव (एनआईएम), देहरादून ने बताया कि राज्य सरकार अपनी वित्तीय संकट के चलते व्यय का वहन नहीं कर सकती क्योंकि उत्तराखंड अल्प संसाधनों वाला एक पहाड़ी राज्य है ।



निर्णयः

इस विषय पर बातचीत के बाद, माननीय रक्षा मंत्री ने बताया कि मामले पर उपयुक्त रूप से विचार किया जाएगा और रक्षा मंत्रालय में विचार हेतु राज्य सरकार द्वारा एक प्रस्ताव दिया जाएगा। जब तक संशोधित निधि साझेदारी के ढांचे के मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक मौजूदा निधिकरण ढांचे को जारी रखा जाएगा।

मद सं. (6) प्रिंसिपल की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का बढ़ाया जाना

एनआईएम के प्रिंसिपल ने कार्यवृत्त मसौदा अनुसार मौजूदा वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए ईसी और जीबी का अनुमोदन मांगा है।

निर्णयः मंहगाई और प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए, ईसी ने प्रस्ताव के अनुसार एनआईएम के प्रिंसिपल की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है।

मद सं. (7) एनआईएम प्रशिक्षुओं और पोर्ट्स के राशन मद में बढ़ोत्तरी

इस प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे :

निर्णयः संस्थान मामले का विस्तृत विवरण जांच हेतु रक्षा मंत्रालय में भेजेगा।

मद सं. (8) स्थापना में पदों के नाम में बदलाव

प्रिंसिपल, एनआईएम ने पद / पदनाम के नाम में प्रस्तावित बदलावों की आवश्यकता के बारे में बताया।

निर्णयः संस्थान, रक्षा मंत्रालय में विस्तृत जांच के लिए विस्तृत प्रस्ताव को भेजे।

मद सं. (9) सदस्यता नीति का संशोधनः

एनआईएम के प्रिंसिपल ने सदस्यता नीति के प्रस्तावित संशोधन की आवश्यकता और प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया।



निर्णय: ईसी और साधारण निकाय ने कार्यसूची मसौदे में चिन्हित के अनुसार सदस्यता नीति में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है ।

मद सं. (10) एनआईएम में पर्वतीय भू-भाग बाइकिंग (एमटीबी) की शुरुआत

माननीय रक्षा मंत्री ने पाया कि संस्थान ने भू-साहसिक कार्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है और इसे ध्यान में रखते हुए एनआईएम में पर्वतीय भू-भाग बाइकिंग (एमबीटी) के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है ।

इस संबंध में एक सदस्य ने पर्यावरण प्रभाव की दृष्टि से चिंता व्यक्त की । तथापि, अन्य सदस्यों ने इसे नयी पहल मानते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन किया ।

निर्णय: एनआईएम उत्तरकाशी में पर्वतीय भू-भाग बाइकिंग की शुरुआत के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

कार्यसूची मदों पर बातचीत के बाद, साधारण निकाय के सदस्यों के विचारों / सुझावों को आमंत्रित किया गया । इस संबंध में एक सदस्य ने संस्थान द्वारा क्रैश कोर्स की शुरुआत का सुझाव दिया । इस पर, ईसी ने यह बताया कि संबंधित सदस्य से सुझाव प्राप्त होने पर एनआईएम इस पर विचार करेगी ।

अंत में अन्य सदस्यों से एनआईएम / राज्य सरकार / रक्षा मंत्रालय द्वारा आगे विचार हेतु ई-मेल के जरिए एनआईएम के प्रिंसिपल को सुझावों / विचारों यदि कोई हैं, को भेजने का अनुरोध किया गया ।

5. अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई ।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग

11 नवम्बर, 2021 को आयोजित उत्तराखंड के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (एनआईएम) की कार्यकारिणी परिषद और साधारण निकाय वीं 26 की बैठक का कार्यवृत्त

भागीदारों की सूची

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

- (1) श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री /अध्यक्ष, एनआईएम - अध्यक्षता
- (2) डॉ. अजय कुमार, रक्षा सचिव
- (3) श्री दिनेश कुमार, संयुक्त सचिव (एएफ), रक्षा मंत्रालय / सचिव, एनआईएम
- (4) श्री राजेश शर्मा, अपर वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय (वित्त)
- (5) श्री आर.ए.शर्मा, निदेशक (एचएमआई)

उत्तराखंड सरकार

- (1) श्री अरविंद पांडे, माननीय खेल-कूद मंत्री
- (2) श्री एस.ए मुरुगेसन, सचिव (खेल-कूद), उत्तराखंड / सचिव, एनआईएम
- (3) श्री गिरधारी सिंह, निदेशक (खेल-कूद) उत्तराखंड

नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तर काशी

कर्नल अमित बिष्ट, प्रिंसिपल/श्री विशाल रंजन, स्थानापन्न रजिस्ट्रार, एनआईएम

साधारण निकाय के सदस्य

- (1) मिस बाचेन्द्री पाल, जामशेदपुर
- (2) श्रीमति सुमन कुटियाल दाताल, उत्तरकाशी
- (3) मिस विनीता मुनि, मुम्बई



- (4) श्री मनदीप सिंह सोईन, नई दिल्ली
- (5) श्री मोटाप छेवांग, गुरगाँव
- (6) श्री तानिल किलाचांद, मुम्बई
- (7) कर्नेल अजित दत्त(अवसरप्राप्त) फरबेसगंज, विहार
- (8) मिस चन्द्र प्रभा एतवाल, उत्तरकाशी
- (9) कप्तान अलोक चन्दोला, नई दिल्ली
- (10) कर्नेल प्रेम चंद, केसि,एसएम,वीएसएम, कुलु(हिमाचल प्रदेश)
- (11) ब्रिगेडियर एम.पी.यादव, वीएसएम((अवसरप्राप्त)
- (12) श्री रामचन्द्र भारद्वाज, देहरादुन
- (13) श्री मृनाल चटार्जी, कोलकाता
- (14) श्री तरुन कुमार राय, दिल्ली
- (15) श्रीमति वसुमथी श्रीनिवासन, बँगलुरु
- (16) श्री दिलिप कोल्हातकार, अकोला(एमएस)
- (17) ब्रिगेडियर एम.एम.मसुर, वीएसएम, सेकेन्द्रावाद
- (18) कर्नेल आई.एस.थापा, एसएम,वीएसएम, देहरादुन
- (19) ब्रिगेडियर डी.के.खुल्लर, अम्बाला केन्ट
- (20) विंग कमान्डार टी.श्रीधरन(अवसरप्राप्त )
- (21) श्री हरिश कपाडिया, मुम्बई
- (22) श्री सुदन सहाय, अरारिया
- (23) श्री अशोक दिलवाली, नई दिल्ली
- (24) श्री दिब्येश आर.मुनि, मुम्बई
- (25) श्री अजित बजाज, गुरगाँव
- (26) श्री अनुप शाह, नैनिताल
- (27) श्री प्रेम सिंह, शिमला
- (28) मेदप के.एस.धामी एसएम ( अवसरप्राप्त ) दिल्ली
- (29) श्री एस.पी.चमोली, मुसौरी
- (30) श्री लवराज सिंह धरमशक्टु, नई दिल्ली
- (31) श्री मनिन्दर कोहली, नई दिल्ली
- (32) श्री एम.आर.विजय राघवन, मायसोर
- (33) डा.(मिस) हर्शावन्ति बिश्ट, देहरादुन



- (34) कर्नेल जे.एस.ढिल्लों, एसएम, गुलमार्ग  
(35) कर्नेल(अवसरप्राप्त) ए.बी.गोध, मेरठ सिटि  
(36) श्री अमित चौधुरी, कोलकाता  
(37) श्री प्रोसेनजित सामन्त, कोलकाता

\*\*\*\*\*

